राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
जी 3/1, अम्बेडकर भवन, राजमहल रेजीडेन्सी क्षेत्र, जयपुर

क्रमांक F.11(37)AP/ICM/SJED/2023-24/ 4212 जयपुर, दिनांक: 28/03/2023

संशोधित आदेश

विभाग के पत्रांक एफ F.11(37)AP/ICM/SJED/2021-22/5600-5709 दिनांक 07.09.2021 के द्वारा अन्तर्जातीय विवाह करने वाले युगलों को प्रोत्साहन देने की डॉ. सविता वेन अम्बेडकर अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन के दिशा निर्देश 2021 में मुख्यमंत्री बजट घोषणा वित्तीय वर्ष 2023–24 के बिन्दू संख्या–83 की अनुपालना हेतु निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:–

7. इस योजना के तहत जाति विभेद एवं छुआछूत उन्मूलन तथा सामाजिक सौहार्द को बढ़ावा देने के लिए हिन्दू सवर्ण जातियों के युवक/युवती से अनुसूचित जाति के युवती/युवक के द्वारा विवाह किये जाने पर देय प्रोत्साहन राशि 5.00 लाख रूपये (अक्षरे रूपये पांच लाख मात्र) से बढ़ाकर 10.00 लाख रूपये (अक्षरे रूपये दस लाख मात्र) किये जाते है। जिसका भुगतान निम्न प्रकार से देय होगा :–

क्र.सं.	विवरण	देय प्रोत्साहन राशि का विवरण
(अ)	पति–पत्नी के संयुक्त नाम पर राष्ट्रीयकृत बैंक में 8 वर्ष के लिए फिक्स डिपोजिट। (समय पूर्व किसी भी स्थिति में अदेय)	रूपये–5.00 लाख
(ब)	युगलों के दाम्पत्य जीवन के निर्वहन के प्रयोजनार्थ संयुक्त बैंक खाते के माध्यम से नगद प्रोत्साहन राशि 5.00 लाख रूपये।	रूपये–5.00 लाख

योजनान्तर्गत बढ़ी हुई प्रोत्साहन राशि का भुगतान दिनांक 01.04.2023 को या इसके पश्चात् अन्तर्जातीय विवाह करने वाले युगलों को देय होगा।

उक्त संशोधित आदेश वित्त विभाग की आई.डी. संख्या 162300429 दिनांक 21.03.2023 के अनुसरण मे एतद् द्वारा जारी की जाती है।

(हरि मोहन मीना)
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक F.11(37)AP/I C M/SJED/2023-24/ 4213-4343 जयपुर, दिनांक: 28/03/2023

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. संयुक्त सचिव (RG), मुख्यमंत्री कार्यालय, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. संयुक्त सचिव (SCD-B), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, शास्त्री भवन, भारत सरकार, नई दिल्ली–110 001
3. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, शासन सचिव, जयपुर।
5. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
6. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय–II) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को आपकी आई.डी. 162300429 दिनांक 21.03.2023 के अनुसरण में।
7. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, ...
8. वित्तीय सलाहकार, मुख्यावास।
9. संयुक्त निदेशक (योजना),मुख्यावास।
10. समस्त प्रभारी अधिकारी मुख्यावास ....।
11. संयुक्त निदेशक (आई.टी.), मुख्यावास को विभागीय वेवसाईट पर अपलोड कराने बाबत्।
12. उप निदेशक (प्रचार), मुख्यावास को योजना के प्रचार प्रसार हेतु समाचार पत्र में सूचना प्रकाशित किये जाने बाबत्।
13. जिला कोषाधिकारी,..
14. संयुक्त/उप /सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, ...
15. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, शासन सचिवालय जयपुर।
16. लेखाकार, ऑडिट/अंकमिलान/बजट, मुख्यावास।
17. गार्ड फाईल।

Signature valid
Digitally signed by Hari Mohan Meena
Designation : Director
Date: 2023.03.28 12:45:15 IST
Reason: Approved

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

RajKaj Ref No. : 3501484

Scanned with CamScanner